कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के सामने, केन्द्रीय पौधशाला, भरतपुर – 321001 (राज.)
फोन : 05644–226017, 227518 ई–मेल : ccf.bhp.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांक एफ ( ) 2021–22/एफसीए/मुवसभ/ 5103 दिनांक 21-9-23

निमित्त,

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी,
एफसीए, राज. जयपुर।

विषय :–Underground OFC laying along road from Hindaun to Karauli from Lat/Long point 26°33´34.89" N 77 °1´25.29" E to 26°31´29.42" N 77 °1´25.29" E to 26°31´29.42" N 77 °1´3.32" E for total length of 05.931 km and area 0.2669 ha. along PWD road within ROW limits in Karauli district, Rajasthan. (FP/RJ/OFC/44022/2020)

संदर्भः– राजस्थान सरकार द्वारा पत्रांक प. 1 (46)वन/2023 जयपुर, दिनांक 13.07.2023 व उप वन संरक्षक, करौली का पत्रांक 5624 दिनांक 04.09.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आलौच्य वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण में राजस्थान सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक 13.07.2023 द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना रिपोर्ट यूजर एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर उप वन संरक्षक, करौली द्वारा संदर्भित पत्र दिनांक 04.09.023 से निम्नानुसार इस कार्यालय को प्रेषित किया है :–

S.No.	Stipulated Conditions	Compliance
.1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	उप वन संरक्षक, करौली द्वारा संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस सम्बन्ध में अण्डरटेकिंग प्रस्तुत कर दी गयी है। (संलग्नक–1)
2.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	उप वन संरक्षक, करौली द्वारा संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस सम्बन्ध में अण्डरटेकिंग प्रस्तुत कर दी गयी है। (संलग्नक–2)
3.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	उप वन संरक्षक, करौली द्वारा संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस सम्बन्ध में अण्डरटेकिंग प्रस्तुत कर दी गयी है। (संलग्नक–3)
4.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।	उप वन संरक्षक, करौली द्वारा संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस सम्बन्ध में अण्डरटेकिंग प्रस्तुत कर दी गयी है। (संलग्नक–4)
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	उप वन संरक्षक, करौली द्वारा संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस सम्बन्ध में अण्डरटेकिंग प्रस्तुत कर दी गयी है।(संलग्नक–5)
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न होवें।	उप वन संरक्षक, करौली द्वारा संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस सम्बन्ध में अण्डरटेकिंग प्रस्तुत कर दी गयी है। (संलग्नक–6)
7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस–पास की वन भूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान	उप वन संरक्षक, करौली द्वारा संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा

S.No.	Stipulated Conditions	Compliance
	मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	इस सम्बन्ध में अण्डरटेकिंग प्रस्तुत कर दी गयी है। (संलग्न–7)
8	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों की पालना करेगा।	उप वन संरक्षक, करौली द्वारा संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस सम्बन्ध में अण्डरटेकिंग प्रस्तुत कर दी गयी है। (संलग्नक–8)
9	प्रयोक्ता अभिकरण सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	उप वन संरक्षक, करौली द्वारा संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एफआरए सर्टिफिकेट की प्रति संलग्न कर दिया गया है। (संलग्नक–9)
10	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	उप वन संरक्षक, करौली द्वारा संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस सम्बन्ध में अण्डरटेकिंग प्रस्तुत कर दी गयी है। (संलग्नक–10)
11	भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेन्सी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	उप वन संरक्षक, करौली द्वारा संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति को हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाकर प्रति संलग्न कर दी गई है। (संलग्नक–11)
12	भारत सरकार के आदेश कमांक एफसी--11/165/2019--एफसी दिनांक 27.07.2020 में दिये गये दिशा–निर्देशों की अनुपालना करें।	उप वन संरक्षक, करौली द्वारा संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस सम्बन्ध में अण्डरटेकिंग प्रस्तुत कर दी गयी है। (संलग्नक–12)

अतः उप वन संरक्षक, करौली के संदर्भित पत्र से प्राप्त उक्तानुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु तीन प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :– उक्तानुसार।

भवदीय

(डॉ. टी. मोहनराज)
मुख्य वन संरक्षक,
भरतपुर

कमांक एफ ( ) 2021–22/एफसीए/मुवसभ/ दिनांक

प्रतिलिपि :–

1. उप वन संरक्षक, करौली को संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

मुख्य वन संरक्षक,
भरतपुर

कार्यालय उप वन संरक्षक, करौली (राज0)

([illegible])

क्रमांक.–एफ( )एफ.सी.ए. /उवसं /2023–24 / 56211
दिनांक— ?/9/2023

निमित,

मुख्य वन संरक्षक
भरतपुर

विषयः Permission for Laying underground OFC in ROW of existing road from Gudla to Karauli from Lat/long point 26° 33' 34.235" N 77° 1' 25.772" E to 26° 31' 29.409" N 77° 1' 3.304" E total length of 5.62 KM and total area 0.2531 ha (Length and area in Forest is 03.32 KM & 0.1494 ha & Length & area in Non -Forest is 2.30 KM & 0.1037 ha) along PWD Roads, in karouli district (Rajasthan). **FP/RJ/OFC/44022/2020**

प्रसंगः–कार्यालय राजस्थान सरकार वन विभाग के पत्रांक प. 1 (46) वन / 2023 जयपुर दिनांक 13.07.2023 के क्रम मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उक्त प्रकरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति कार्यालय राजस्थान सरकार वन विभाग के पत्रांक प. 1 (46) वन / 2023 जयपुर दिनांक 13.07.2023 से शर्तोधीन जारी की गई, जिसकी अनुपालना रिपोर्ट प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उनके पत्र क्रमांक JDFPL/44022/PF/01 Dated 17 Jul 2023 द्वारा प्रेषित की है, जो इस कार्यालय की अभिशंषा सहित 4 प्रति में निम्नानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है:–

क्र.स.	शर्त	अनुपालना
1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति मे कोई परिवर्तन नही हुआ है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अन्डरटेकिंग संलग्न कर दी गई है।
2	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अन्डरटेकिंग संलग्न कर दी गई है।
3	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नही पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाये किये जावेगें।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अन्डरटेकिंग संलग्न कर दी गई है।
4	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले को वृक्षे वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नही काटा जावे। उक्त क्षेत्र मे रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होगे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अन्डरटेकिंग संलग्न कर दी गई है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल / वनक्षेत्र के आस–पास मजदूरो / स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नही लगाया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अन्डरटेकिंग संलग्न कर दी गई है।
6	प्रयोक्ता अभिरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरो / स्टाफ को रसोई गैस / केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अन्डरटेकिंग संलग्न कर दी गई है।
7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से / पर निर्माण कार्य के दौराने मिट्टी / पत्थर काटने या भरने का कार्य नही किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अन्डरटेकिंग संलग्न कर दी गई है।
8	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अन्डरटेकिंग

कार्यालय ... सुगम 05-9-23 मूल प्रति 4 प्राप्त की

	नियम, को तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	संलग्न कर दी गई है।
9	प्रयोक्त अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृत की पालना के साथ एफ.आर.ए सटिर्फिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृत पर विचार किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जिला कलक्टर करौली द्वारा जारी एफ.आर.ए सटिर्फिकेट की प्रति संलग्न कर दी गई है।
10	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अन्डरटेकिंग संलग्न कर दी गई है।
11	भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012 एफसी दिनांक 24.07.2023 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को परित् निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होनें वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृत की प्रतियां स्थनीय निकाय, पंचायत एंव नगरपालिका के राजकीय अधिकाररियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति को हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनो समाचार पत्रो में प्रकाशित करवाकर प्रति संलग्न कर दी गई है।
12	भारत सरकार के आदेश कमांक एफसी–11/165/2019–एफसी दिनांक 27.07.2020 में दिये गये दिशा–निर्देशों की अनुपालना करे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अन्डरटेकिंग संलग्न कर दी गई है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

भवदीय

(सुरेश मिश्रा)
उप वन संरक्षक
करौली

दिनांकः– / /2023

क्रमांकः–एफ( )एफ.सी.ए./उवसं/2023–24/

प्रतिलिपि अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. राजस्थान जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है–

उप वन संरक्षक
करौली

विशेषाधिकारी वन विभाग राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक प. 1 (46) वन/ 2023 दिनांक 13/07/2023 द्वारा जारी सैध्दांतिक स्वीकृति की शर्तों की पालना रिपोर्ट

Proposal No. FP/RJ/OFC/44022/2020 about laying underground OFC in RoW of road existing between Karauli to Hindaun

शर्त संख्या 1: वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

For Jio Digital Fibre Pvt. Ltd.

Authorized Signatory

उप वन संरक्षक
करौली

विशेषाधिकारी वन विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक प. 1 (46) वन/2023 दिनांक 13/07/2023 द्वारा जारी, सैध्दांतिक स्वीकृति की शर्तों की पालना रिपोर्ट

Proposal No. FP/RJ/OFC/44022/2020 about laying underground OFC in RoW of road existing between Karauli to Hindaun

शर्त संख्या 2: प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा।

For Jio Digital Fibre Pvt. Ltd.

Authorized Signatory

(सुरेश मिश्रा)
उप वन संरक्षक
करौली

विशेषाधिकारी वन विभाग राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक प. 1 (46) वन/ 2023 दिनांक 13/07/2023 द्वारा जारी सैध्दांतिक स्वीकृति की शर्तों की पालना रिपोर्ट

Proposal No. FP/RJ/OFC/44022/2020 about laying underground OFC in RoW of road existing between Karauli to Hindaun

शर्त संख्या 3: याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियो एवं जीव जंतुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किए जाएंगे।

For Jio Digital Fibre Pvt. Ltd.
Authorized Signatory

(सुरेश मिश्रा)
उप वन संरक्षक
करौली

विशेषाधिकारी वन विभाग राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक प. 1 (46) वन/ 2023 दिनांक 13/07/2023 द्वारा जारी सैध्दांतिक स्वीकृति की शर्तों की पालना रिपोर्ट

Proposal No. FP/RJ/OFC/44022/2020 about laying underground OFC in RoW of road existing between Karauli to Hindaun

शर्त संख्या 4: प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की पूर्वा अनुमति के नहीं काटा जाएगा। क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे।

For Jio Digital Fibre Pvt. Ltd.

Authorized Signatory

(सुरेश मिश्रा)
उप वन संरक्षक
करौली

विशेषाधिकारी वन विभाग राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक प. 1 (46) वन/ 2023 दिनांक 13/07/2023 द्वारा जारी सैध्दांतिक स्वीकृति की शर्तों की पालना रिपोर्ट

Proposal No. FP/RJ/OFC/44022/2020 about laying underground OFC in RoW of road existing between Karauli to Hindaun

शर्त संख्या 5: प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल /वनक्षेत्र के आसपास मजदूरो /स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैंप नहीं लगाया जाएगा।

For Jio Digital Fibre Pvt. Ltd.

Authorized Signatory

(सुरेश मिश्रा)
उप वन संरक्षक
करौली

विशेषाधिकारी वन विभाग राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक प. 1 (46) वन/ 2023 दिनांक 13/07/2023 द्वारा जारी सैध्दांतिक स्वीकृति की शर्तों की पालना रिपोर्ट

Proposal No. FP/RJ/OFC/44022/2020 about laying underground OFC in RoW of road existing between Karauli to Hindaun

शर्त संख्या 6: प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मज़दूरों /स्टाफ को रसोई गैस/ केरोसिन तेल आपूर्ति की जाएगी, ताकि निकटवर्ती गुणों को क्षति न हो।

For Jio Digital Fibre Pvt. Ltd.
Authorized Signatory

(सुरेश मिश्रा)
उप वन संरक्षक
करौली

/

विशेषाधिकारी वन विभाग राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक प. 1 (46) वन/ 2023 दिनांक 13/07/2023 द्वारा जारी सैध्दांतिक स्वीकृति की शर्तों की पालना रिपोर्ट

Proposal No. FP/RJ/OFC/44022/2020 about laying underground OFC in RoW of road existing between Karauli to Hindaun

शर्त संख्या 7: प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आसपास की वन भूमि से /पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी /पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।

For Jio Digital Fibre Pvt. Ltd.

Authorized Signatory

(सुरेश मिश्रा)
उप वन संरक्षक
करौली

विशेषाधिकारी वन विभाग राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक प. 1 (46) वन/2023 दिनांक 13/07/2023 द्वारा जारी सैध्दांतिक स्वीकृति की शर्तों की पालना रिपोर्ट

Proposal No. FP/RJ/OFC/44022/2020 about laying underground OFC in RoW of road existing between Karauli to Hindaun

शर्त संख्या 8: प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों की पालना की जाएगी।

For Jio Digital Fibre Pvt. Ltd.
Authorized Signatory

(सुरेश मिश्रा)
उप वन संरक्षक
करौली

JIO DIGITAL FIBRE PRIVATE LIMITED
CIN: U64200GJ2018PTC105652

विशेषाधिकारी वन विभाग राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक प. 1 (46) वन/ 2023 दिनांक 13/07/2023 द्वारा जारी सैध्दांतिक स्वीकृति की शर्तों की पालना रिपोर्ट

Proposal No. FP/RJ/OFC/44022/2020 about laying underground OFC in RoW of road existing between Karauli to Hindaun

शर्त संख्या 9: प्रस्ताव संख्या FP/RJ/OFC/44022/2020 से संबंधित FRA प्रमाण पत्र जिला कलेक्टर करौली ने पत्रांक F.12(05)(160)Rev/ 2022/4657 दिनांक 15.06.2022 द्वारा जारी कर दिया है जिसकी प्रतिलिपी पत्र के साथ संलग्न कर दी है।

For Jio Digital Fibre Pvt. Ltd.

Authorized Signatory

(सुरेश मिश्रा)
उप वन संरक्षक
करौली

JIO DIGITAL FIBRE PRIVATE LIMITED

CIN: U64200GJ2018PTC105652

विशेषाधिकारी वन विभाग राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक प. 1 (46) वन/ 2023 दिनांक 13/07/2023 द्वारा जारी सैध्दांतिक स्वीकृति की शर्तों की पालना रिपोर्ट

Proposal No. FP/RJ/OFC/44022/2020 about laying underground OFC in RoW of road existing between Karauli to Hindaun

शर्त संख्या 10: सहमत हैं।

For Jio Digital Fibre Pvt. Ltd.

Authorized Signatory

(सुरेश मिश्रा)
उप वन संरक्षक
करौली

विशेषाधिकारी वन विभाग राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक प. 1 (46) वन/ 2023 दिनांक 13/07/2023 द्वारा जारी सैध्दांतिक स्वीकृति की शर्तों की पालना रिपोर्ट

Proposal No. FP/RJ/OFC/44022/2020 about laying underground OFC in RoW of road existing between Karauli to Hindaun

शर्त संख्या 11: यूजर एजेंसी द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति को एक हिंदी तथा एक अंग्रेजी अखबार में प्रकाशित करवाकर शर्त की पालना कर दी गई है एवं जारी स्वीकृति की प्रतियाँ स्थानीय निकाय पंचायत एवं नगर पालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करा दी गई है।

For Jio Digital Fibre Pvt. Ltd.
Authorized Signatory

(सुरेश मिश्रा)
उप वन संरक्षक
करौली

विशेषाधिकारी वन विभाग राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक प. 1 (46) वन/ 2023 दिनांक 13/07/2023 द्वारा जारी सैध्दांतिक स्वीकृति की शर्तों की पालना रिपोर्ट

Proposal No. FP/RJ/OFC/44022/2020 about laying underground OFC in RoW of road existing between Karauli to Hindaun

शर्त संख्या 12: यूजर एजेंसी भारत सरकार के आदेश क्रमांक एफसी 11/165/2019 – एफसी दिनांक 20.07.2020 में दिए गए निर्देशों की अनुपालना हेतु वचनबद्ध है।

For Jio Digital Fibre Pvt. Ltd.

Authorized Signatory

Annexure-I

FORM-I
(for linear projects)
Government of Rajasthan
Office of the District Collector, Karauli.
*****

No: F.8(5)(3) Misc./Rev./2023/ Dated :

To WHOM-SO-EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No.11- 9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it has been certified that 0.2669 hectares area of forest land in Village Gudla, Gudla Chauki Road tehsil Karauli, Forest Range Karauli and Kanchroli, Burjawada, Khera Jamalpur, Gunsar, Phaili ka pura, Todupura, Ritholi, Ganvda meena, Gadhi Patti Gurjar, Gurjar ganwda, Tehsil Hindaun, Forest Range Hinduan proposed to be diverted in favour Of Jio Digital Fibre Pvt. Ltd. (Proposal No. FP/RJ/OFC/44022/2020) for laying of under Ground Optical Fiber Cable Work At Karauli-Hindaun Road Dist Karauli .

It is further certified that :

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.2669 Hectares of forest area proposed for diversion. There are no such forest Dwellers Scheduled Tribes Persons residing in the proposed area with rights scheduled Tribe and other traditional forest dwellers (recognition of forest rights) Act 2006. A copy of records of all consultations and Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 2 to annexure 4.

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed .

(c) the proposal does not involve recognized right of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

<u>Encls.</u>: As above

— Sd —

(ANKIT KUMAR SINGH)
District Collector
Karauli (Raj.)

No: F.8(5)( ) Misc./Rev./2023/2079-80 Dated : 18-01-023

Copy forward to-

1- D.C.F. Karauli & RTR (Buffer) Karauli Wildlife.
2- Jio Digital Fiber Private Limited, 1st Floor, Anandbhawan, Sansar Chandra Road, Jaipur -302001, India.(Ref No. RJIL/OFC/FRA/02 Dated 7th February 2022)

For Jio Digital Fibre Pvt. Ltd.
Authorized Signatory

District Collector Karauli

अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने स्थानीय पार्षद के साथ धरना दिया।

चलते सड़क हादसे में लोगों के हाथ और पैर फ्रैक्चर हो गए हैं। लेकिन नकारा अफसरों के झूठे आश्वासन के आगे जनता बेबस साबित हो रही है। उन्होंने ये भी बताया कि बजट घोषणा वर्ष 2021-22 सड़क झूलेलाल मंदिर से चौरसियावास तालाब तक बनने वाली 1.5 किमी सड़क जिसको अभी तक शुरू नहीं किया। वार्ड 65 पुलिस लाइन से चौराहे से शास्त्री नगर चुंगी चौकी तक पेवर सड़क निर्माण अभी तक अधूरा पड़ा है। फायसागर पुलिस चौकी से फायसागर तक पेवर सड़क जिसके लिए 3 करोड़ 80 लाख की राशि स्वीकृत हुई थी इस सड़क का भी 300 मीटर का टुकड़ा जो टेलीफोन एक्सचेंज इस तरह के बरगलाने वाले कार्यक्रमों के जरिए उल्टा नमक मिर्च लगा रहे हैं। देवनानी के साथ धरने में सड़क हादसे में घायल हुए लोग भी शामिल हुए और स्थानीय पार्षद ज्ञान सारस्वत ने सड़क पर जहां-जहां गड्ढे हैं वहां गमला रखकर विरोध प्रदर्शन किया और जल्द सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं होने पर आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी है। देवनानी के साथ पार्षद ज्ञान चंद सारस्वत, दिनेश खटाना, तारा रावत आदि भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय निवासी सहभागी बने।

अधिकारी को कार्य मुक्त नहीं करने का आदेश

उच्च न्यायालय की एकलपीठ के न्यायाधीश ने आदेश पारित किया

दिसंबर 2019 को कार्यग्रहण कर लिया। इनके कार्यग्रहण के पश्चात् 20 जून 2023 के आदेश से उनके स्थान पर किसी अन्य भारतीय वन सेवा अधिकारी का स्थानांतरण कर दिया गया। मगर प्रार्थी को कहीं पर भी पदस्थापन नहीं किया गया। विभाग के इस कृत्य से व्यथित होकर प्रार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका प्रस्तुत की। प्रार्थी के अधिवक्ता प्रमेन्द्र बोहरा का न्यायालय के समक्ष यह तर्क था कि प्रथमतया प्रार्थी उप वन संरक्षक नागौर के पद पर वर्ष 2019 से निर्बाध रूप से कार्य कर रहा है। प्रार्थी का वर्तमान स्थान पर कार्यरत होने के बावजूद व प्रार्थी का कहीं भी स्थानांतरण नहीं करने के बावजूद अन्य का स्थानांतरण आदेश प्रार्थी के स्थान पर कर दिया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता का आगे यह तर्क था कि मार्च 2024 में प्रार्थी सेवानिवृत भी होने वाला है तथा उसका कहीं भी स्थानान्तरण नहीं किया गया है।

प्रार्थी के अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होते हुए उच्च न्यायालय ने प्रार्थी की रिट याचिका को अंतरिम रूप से ग्राह्य करते हुये मुख्य वन संरक्षक व सचिव, वन विभाग तथा सह सचिव कार्मिक विभाग को नोटिस जारी करते हुए विभाग के आदेश 20 जून 2023 के अनुसरण मे प्रार्थी को कार्यमुक्त नहीं करने का आदेश पारित किया।

शराब सहित एक पकड़ा

कोटपूतली, (निसं)। पनियाला थाना पुलिस ने हरियाणा निर्मित अवैध देशी शराब के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। एसएचओ लक्ष्मीनारायण ने बताया कि पुलिस टीम ने कृष्ण कुमार को कंधे पर कट्टा रखकर पैदल आते देखा तो उसके पास कट्टे में नौ बोतल अवैध देशी शराब की पाई गई।

राजस्थान सरकार वन विभाग

क्रमांक प.1 (46) [illegible]/2023 जयपुर दिनांक

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)

राजस्थान, जयपुर

विषय: Diversion of 0.1494 ha of forest land for permission for laying Underground OFC in ROW of existing road from Gudla to Karauli from Lat/ long point 26°33' 34.235" N 77°1' 25.772"E to 26°31' 29.409" N 77°1' 3.304" E, total length of 5.62 KM and total area 0.2531 ha (length and area in Forest is 03.32 KM & 0.1494 ha & Length & area in Non-Forest is 2.30 KM & 0.1037 ha) along PWD (Proposal No.: FP/RJ/OFC/44022/2020)

संदर्भ:- आपका पत्रांक एफ 14 (380/35) 2020/[illegible]/प्रमुवस/3460 दिनांक 18.10.2022 [illegible] संख्या FP/RJ/OFC/44022/2020

महोदय,

[illegible] Existing road from Gudla to Karauli [illegible] Diversion of 0.1494 ha of forest land for permission for laying Underground OFC in ROW of existing road from Gudla to Karauli from Lat/ long point 26°33' 34.235" N 77°1' 25.772"E to 26°31' 29.409" N 77°1' 3.304" E, total length of 5.62 KM and total area 0.2531 ha (length and area in Forest is 03.32 KM & 0.1494 ha & Length & area in Non-Forest is 2.30 KM & 0.1037 ha) along PWD (Proposal No.: FP/RJ/OFC/44022/2020) की सैद्धान्तिक स्वीकृति बिना किसी वृक्ष के [illegible]

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]
6. [illegible]
7. [illegible]
8. [illegible]
9. [illegible]
10. [illegible]
11. [illegible]
12. [illegible] भवदीय, (मोनाली सेन) [illegible]

..., आरोपी प्रेमी गिरफ्तार

... को किया सुपुर्द, पिता को भी हिरासत में लिया

- भाजपा की ओर से पीड़िता के परिवार को 20 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा
- जिला कलेक्टर ने राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता का आश्वासन दिया

...आम आदमी पार्टी के नेता भी अस्पताल ...परिसर में अलग टेंट लगाकर धरने पर ...बैठ गए तथा भाजपा कांग्रेस को कोसने ...लगे। सभी की एक ही मांग थी कि ...आरोपियों की गिरफ्तारी हो,' पीड़ित ...परिवार को मुआवजा और नौकरी मिले ...तथा दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ ...कार्यवाही हो। सहमति नहीं बनने के कारण बसपा और आम आदमी पार्टी के धरने शुक्रवार शाम को खत्म हो गए लेकिन भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा का धरना लगातार जारी रहा। शनिवार को सुबह टोडाभीम से कांग्रेस विधायक पी आर मीणा व अन्य कांग्रेस नेता सांसद किरोड़ी मीणा के धरने में पहुंचे तथा धरना समाप्त करने का अनुरोध किया। लेकिन सांसद किरोड़ी नहीं माने और उन्हें वापस भेज दिया। इसके बाद शनिवार दोपहर बारह बजे भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह भी हिंडौन पहुंचे तथा घटना की जानकारी लेकर सांसद किरोड़ी मीणा के धरने में शामिल हुए। उन्होंने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर जमकर आरोप लगाए।

इसी दौरान खबर आई कि पुलिस ने घटना के मुख्य आरोपी गोलू मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में मुख्य आरोपी प्रभाकर चेन सिंह उर्फ गोलू मीना (20) और सहयोगी पिता अमर सिंह उर्फ नैहना मीना को गिरफ्तार किया है। एसपी ममता गुप्ता ने घटना का खुलासा किया तो मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ भी निकला। आरोपी की गिरफ्तारी होने के बाद पुलिस प्रशासन ने सांसद किरोड़ी लाल मीणा व मृतका के परिजनों से बातचीत कर समझाइश की तब कुछ सहमति बनी। भाजपा की ओर से की जा रही पहली मांग आरोपी की गिरफ्तारी पूरी हो गई। पीड़ित परिवार को सरकार की ओर से पांच लाख रुपए के मुआवजे की जिला कलेक्टर ने घोषणा कर दी तथा संविदा पर नौकरी वह अन्य मांग भी पूरी करने का आश्वासन दिया। भाजपा भी पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपये की सहायता देगी। उसके बाद परिजन शव लेने को और सांसद किरोड़ी मीणा धरना समाप्त करने के लिए तैयार हुए। कड़ी सुरक्षा के बीच शव परिजनों को सुपुर्द कर गांव पहुंचाया गया। जहां उसका अंतिम संस्कार किया गया। जिसके बाद पुलिस और प्रशासन ने राहत की सांस ली।

No: F.8...

No.11-...

evidence ... Tribes a... the fore... February ... that 0.2... Karauli ... meena, ... in favour ... Optical F... It is furth...

(a) t... o... D... of... co... as...

(b) th... (2...

(c) th... co...

Encls.: As a...

No: F.8(5)(...

Copy forwa...

1- D.C.F...

2- Jio Di... India.

For Jio Digital Fibre Pvt. Ltd.

Authorized Signatory

...now many times I have ...ietly put on a backburner.

308 awarded degrees at IIHMR convocation

Jaipur: Jaipur's IIHMR University awarded degrees to 308 students at the convocation ceremony held on Saturday.

IIHMR University president Dr P R Sodani said that out of 308 students, 201 students of MBA Hospital and Health Management, 77 students of MBA Pharmaceutical Management, 21 students of MBA Development Management and 9 students of PhD were awarded degrees.

Manish Gupta, co-founder and CEO, Indigen India was the chief guest. "India has witnessed marvellous changes in health and wellness primarily because of research that has gone into this field," he said.

Ram Narayan, CEO, Emirates Hospital Group, Dubai who was the guest of honour, spoke on leadership and management skills required for high performance in the industry.

Four students — Gandhi Krishna Pranavkumar for Hospital Management, Shikha Sharma for Health Management, Niyati Talwar for Pharmaceutical Management and Preeti Purohit for Development Management — received the gold medal. **ENS**

Ex-govt officer among 4 held in bribery case

Jaipur: The Rajasthan Anti-Corruption Bureau (ACB) has arrested four people, including the former chairperson of state Ghumantu Jati Kalyan Board, for accepting a bribe of Rs 18.50 lakh, officials said.

Additional Director General of Police, Hemant Priydarshi said the Sikar unit of the ACB was approached by the complainant alleging that a sum of Rs 40 lakh was being demanded by Gopal Kesawat, former chairperson of the board, and three others — Anil Kumar, Brahmprakash and Ravinder Sharma.

The bribe was demanded in lieu of getting the exam of executive officer conducted by the Rajasthan Public Service Commission (RPSC) cleared.

Kesawat was arrested in Jaipur on Saturday while taking Rs 7.50 lakh. He had told the complainant that he has connections with two RPSC members but in our primary investigation, no role of any RPSC member or official has been found yet, the ADG said. **PTI**

WEST CENTRAL RAILWAY

CHIEF WORKS MANAGER
WAGON REPAIR WORKSHOP KOTA
No. S-234-3-1-DATAENTRY-03
Date: 11.07.2023

For and on behalf of the President of India, Chief Works Manager, Wagon Repair Shop, Kota, Kota invites E-Tenders for the following works:-, **Tender No.:** S-234-3-1-DATAENTRY-03, **Description of work:** Outsourcing of Data Entry in Workshop Information System (WISE) for Wagon Repair Shop, Kota/WCR, **Estimate Cost of the work in Rs.:** Rs. 32,72,478.00/-, **Cost of Tender form in Rs.:** NIL, **Earnest money in Rs.:** 65,500.00/-, **Completion period:** 12 months, **Time and date of closing/opening of tender:** Closing 11:30 hrs on 10/08/2023 & Opening at 12:00 hrs on 10/08/2023, E-Tender notice complete details are available on the website http://www.ireps.gov.in and also available on the tender notice board of progress section in CWM office, Kota. Offers are acceptable through E-tender only. Manual offers are not allowed against this tender, and any such offer received shall be ignored.

Dy. Chief Mechanical Engineer/ West central Railway, KOTA

राजस्थान सरकार वन विभाग

क्रमांक प.1 (46) वन/2023 जयपुर दिनांक

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)
राजस्थान, जयपुर

विषय: Diversion of 0.1494 ha of forest land for permission for laying Underground OFC in ROW of existing road from Gudla to Karauli from Lat/ long point 26°33' 34.235" N 77°1' 25.772"E to 26°31' 29.409" N 77°1' 3.304" E, total length of 5.62 KM and total area 0.2531 ha (length and area in Forest is 03.32 KM & 0.1494 ha & Length & area in Non-Forest is 2.30 KM & 0.1037 ha) along PWD (Proposal No : FP/RJ/OFC/44022/2020)

संदर्भ:- आपका पत्रांक एफ 14 (380/35) 2020/एफसीए/प्रमुवस/3460 दिनांक 18.10.2022 ऑन लाईन प्रस्ताव सख्यां FP/RJ/OFC/44022/2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में जिला करौली Existing road from Gudla to Karauli हेतु भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल लाईन बिछाने बाबत कुल 0.1494 है. वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा-2 में सामान्य स्वीकृति बाबत जारी दिशा निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में Diversion of 0.1494 ha of forest land for permission for laying Underground OFC in ROW of existing road from Gudla to Karauli from Lat/ long point 26°33' 34.235" N 77°1' 25.772"E to 26°31' 29.409" N 77°1' 3.304" E, total length of 5.62 KM and total area 0.2531 ha (length and area in Forest is 03.32 KM & 0.1494 ha & Length & area in Non-Forest is 2.30 KM & 0.1037 ha) along PWD (Proposal No.: FP/RJ/OFC/44022/2020) को सैद्धान्तिक स्वीकृति बिना किसी वृक्ष के पातन सहित निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान करती है:

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।
4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किये जाने वाले को वृक्षों वनविभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैंप नहीं लगाया जावेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/ केरोसिन तेल आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकट वर्ती वनों को क्षति न हो।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/ पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।
8. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।
9. प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टीफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
10. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
11. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दि.24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दि.7.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी व अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अवश्य प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय पंचायत एवं नगर पालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
12. भारत सरकार के आदेश क्रमांक एफसी-11/165/2019-एफसी दिनांक 27.07.2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों की अनुपालना करें।

भवदीया, (सोनाली सेन) विशेषाधिकारी, वन

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
एसपीएल-2, पंचम चरण रिको औद्योगिक क्षेत्र, किशनगढ़ (अजमेर)

राप्रनिम / क्षेका किश / पीयूबी-317/1843 दिनांक: 11.07.2023

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोकसुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स महालक्ष्मी नेचुरल स्टोन्स खनन पटटा संख्या 17/2022 ग्राम उदयपुर खुर्द द्वारा ग्रेनाईट खनिज क्लस्टर खनन परियोजना जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र. सं.	प्रोजेक्ट का नाम	खनन पटट्ा संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	ग्राम	खनिज का नाम	उत्पादन क्षमता टीपीए (आर.ओ.एम)
1.	मैसर्स महालक्ष्मी नेचुरल स्टोन्स , खसरा संख्या 229	17/2022	2.1112	उदयपुर खुर्द	ग्रेनाईट	181826
2	मैसर्स रघुपति माइंस एंड मिनरल्स	09/2021	1.1057	उदयपुर खुर्द	ग्रेनाईट	118684
3.	श्री मोहनश्याम दास शर्मा	13/2021	1.6186	काचरिया	ग्रेनाईट	157080
4.	श्री नवीन चौधरी	60/2021	1.1106	काचरिया	ग्रेनाईट	99170
5.	मैसर्स बयाना सेन्ड स्टोन	08/2021	3.1030	उदयपुर खुर्द	ग्रेनाईट	343392

कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 9.0491 हैक्टेयर कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता-900152 टीपीए (आर.ओ.एम.), ग्राम उदयपुर खुर्द, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल(यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि मैसर्स महालक्ष्मी नेचुरल स्टोन्स, खनन पटट्ा संख्या 17/2022, ग्राम उदयपुर खुर्द ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना संख्या एस.ओ.1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ.141 ई दिनांक 15.01.2016 के अनुसार समूह लोक सुनवाई हेतु आवश्यक है।
3. उक्त समूह खनन परियोजना से सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है।
1. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजमेर।
2. पर्यावरण विभाग राजस्थान सरकार शासन सचिवालय, जयपुर।
3. सदस्य सचिव राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मुल्यांकन समिति, राजस्थान 04 संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर।
4. क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल किशनगढ़, जिला-अजमेर
5. तहसील-किशनगढ़, जिला-अजमेर।
6. राजीव गांधी सेवा केन्द्र सिलोरा, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के पत्र क्रमांक कअ /सामान्य/ 2023/12061 दिनांक 10.07.2023 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 22.08.2023 को प्रातः 11:00 बजे, स्थान- राजीव गांधी सेवा केन्द्र सिलोरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। इस संबंध में लिखित आक्षेप /सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़, जिला-अजमेर को भी दिये जा सकते है।

(दीपक तँवर) पर्यावरणीय अभियंता एवं क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
एसपीएल-2, पंचम चरण रिको औद्योगिक क्षेत्र, किशनगढ़ (अजमेर)

राप्रनिम / क्षेका किश / पीयूबी-316/1839 दिनांक: 11.07.2023

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोकसुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री जय कुमार जैन पुत्र श्री सोभाग मल जैन सह आवेदक श्रीमती सोनू जैन पत्नी श्री राकेश कुमार जैन, खनन पटटा संख्या 18 / 2022 ग्राम मुण्डोती द्वारा ग्रेनाईट खनिज क्लस्टर खनन परियोजना जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र. सं.	प्रोजेक्ट का नाम	खनन पटट्ा संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	ग्राम	खनिज का नाम	उत्पादन क्षमता टीपीए (आर.ओ.एम)
1.	श्री जय कुमार जैन पुत्र श्री सोभाग मल जैन सह आवेदक श्रीमती सोनू जैन पत्नी श्री राकेश कुमार जैन, खसरा संख्या 638	18/2022	1.3579	मुण्डोती	ग्रेनाईट	154812
2	श्री अनिल दबे	32/2021	1.3256	बांदरसिंदरी	ग्रेनाईट	140112
3.	श्री तेज मल	33/2021	1.3057	बांदरसिंदरी	ग्रेनाईट	116284
4.	श्री तेज मल	34/2021	1.2709	बांदरसिंदरी	ग्रेनाईट	92602
5.	मेसर्स श्री राम ग्रेनाईट	39/2021	1.0176	मुण्डोती	ग्रेनाईट	100010
6.	मेसर्स राधा रानी ग्रेनाईट	212/2008	1.00	मुण्डोती	ग्रेनाईट एवं मैसनरी स्टोन	92937

कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 7.2777 हैक्टेयर कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता-696757 टीपीए (आर.ओ.एम.), ग्राम मुण्डोती, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल(यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि श्री जय कुमार जैन पुत्र श्री सोभाग मल जैन सह आवेदक श्रीमती सोनू जैन पत्नी श्री राकेश कुमार जैन, खनन पटट्ा संख्या 18/2022, ग्राम मुण्डोती ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना संख्या एस.ओ.1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ.141 ई दिनांक 15.01.2016 के अनुसार समूह लोक सुनवाई हेतु आवश्यक है।
3. उक्त समूह खनन परियोजना से सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है।
1. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजमेर।
2. पर्यावरण विभाग राजस्थान सरकार शासन सचिवालय, जयपुर।
3. सदस्य सचिव राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मुल्यांकन समिति, राजस्थान 04 संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर।
4. क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल किशनगढ़, जिला-अजमेर
5. तहसील-किशनगढ़, जिला-अजमेर।
6. राजीव गांधी सेवा केन्द्र नलु तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के पत्र क्रमांक कअ /सामान्य/ 2023/12061 दिनांक 10.07.2023 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 22.08.2023 को दोपहर: 12:00 बजे, स्थान- राजीव गांधी सेवा केन्द्र नलु तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है। इस संबंध में लिखित आक्षेप /सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़, जिला-अजमेर को भी दिये जा सकते है।

(दीपक तँवर) पर्यावरणीय अभियंता एवं क्षेत्रीय अधिकारी

JIO DIGITAL FIBRE PRIVATE LIMITED

Undertaking for Laying of Underground Optical Fiber Cables (OFC) within RoW of existing roads as per Para 4.2 of Comprehensive Guidelines issued by MoEF on 28.03.2019

Proposal No.-FP/RJ/OFC/44022/2020 about laying Underground OFC in ROW of road existing between Karauli-Hindaun

I, Suresh Kumar Singhal, Sr. Manager, Jio Digital Fibre Private Limited the on behalf of user agency, hereby undertake for following condition:

a. *No tree felling is involved for the proposed work.*

For Jio Digital Fibre Pvt. Ltd.

Authorized Signatory

Countersigned

Divisional Forest officer

...................Forest Division

Office Seal:......................

(मुख्यालय) उप वन संरक्षक करौली

JIO DIGITAL FIBRE PRIVATE LIMITED

Undertaking for Laying of Underground Optical Fiber Cables (OFC) within RoW of existing roads as per Para 4.2 of Comprehensive Guidelines issued by MoEF on 28.03.2019

Proposal No.-FP/RJ/OFC/44022/2020 about laying Underground OFC in ROW of road existing between Karauli-Hindaun

I, Suresh Kumar Singhal, Sr. Manager, Jio Digital Fibre Private Limited the on behalf of user agency, hereby undertake for following condition:

b. *After completion of the project the area under RoW shall be reclaimed suitably.*

For Jio Digital Fibre Pvt. Ltd.

Authorized Signatory

Countersigned

Divisional Forest officer

....................Forest Division

Office Seal..............................

(सुरेश मिश्रा)
उप वन संरक्षक
करौली

JIO DIGITAL FIBRE PRIVATE LIMITED

Undertaking for Laying of Underground Optical Fiber Cables (OFC) within RoW of existing roads as per Para 4.2 of Comprehensive Guidelines issued by MoEF on 28.03.2019

Proposal No.-FP/RJ/OFC/44022/2020 about laying Underground OFC in ROW of road existing between Karauli-Hindaun

I, Suresh Kumar Singhal, Sr. Manager, Jio Digital Fibre Private Limited the on behalf of user agency, hereby undertake for following condition:

c. M/s Jio Digital Fibre Private Limited *agrees to make good of any loss to Forest/Environment.*

For Jio Digital Fibre Pvt. Ltd.

Authorized Signatory

Countersigned

Divisional Forest officer

.........................Forest Division

(सुरेश मिश्रा)

Office Seal:.........................

उप वन संरक्षक

करौली

JIO DIGITAL FIBRE PRIVATE LIMITED

Undertaking for Laying of Underground Optical Fiber Cables (OFC) within RoW of existing roads as per Para 4.2 of Comprehensive Guidelines issued by MoEF on 28.03.2019

Proposal No.-FP/RJ/OFC/44022/2020 about laying Underground OFC in ROW of road existing between Karauli-Hindaun

I, Suresh Kumar Singhal, Sr. Manager, Jio Digital Fibre Private Limited the on behalf of user agency, hereby undertake for following condition:

d. *M/s* Jio Digital Fibre Private Limited *will seek permission from the local FD for carrying out any maintenance.*

For Jio Digital Fibre Pvt. Ltd.

Authorized Signatory

Countersigned

Divisional Forest officer

..........................Forest Division

Office Seal..........................

(सुरेश मिश्रा)
उप वन संरक्षक
करौली

JIO DIGITAL FIBRE PRIVATE LIMITED

Undertaking for Laying of Underground Optical Fiber Cables (OFC) within RoW of existing roads as per Para 4.2 of Comprehensive Guidelines issued by MoEF on 28.03.2019

Proposal No.-FP/RJ/OFC/44022/2020 about laying Underground OFC in ROW of road existing between Karauli-Hindaun

I, Suresh Kumar Singhal, Sr. Manager, Jio Digital Fibre Private Limited the on behalf of user agency, hereby undertake for following condition:

e. *In case, the proposed area falls in the RoW of the road passing through National Parks and wildlife Sanctuaries, General Approval is subject to prior permissions from the State Board for Wildlife.*

For Jio Digital Fibre Pvt. Ltd.

Authorized Signatory

Countersigned

Divisional Forest officer

....................Forest Division

Office Seal.......................

(... मिश्रा)
उप वन संरक्षक
करौली

JIO DIGITAL FIBRE PRIVATE LIMITED

Undertaking for Laying of Underground Optical Fiber Cables (OFC) within RoW of existing roads as per Para 4.2 of Comprehensive Guidelines issued by MoEF on 28.03.2019

Proposal No.-FP/RJ/OFC/44022/2020 about laying Underground OFC in ROW of road existing between Karauli-Hindaun

I, Suresh Kumar Singhal, Sr. Manager, Jio Digital Fibre Private Limited the on behalf of user agency, hereby undertake for following condition:

f. *In case of project involves tree felling, ten trees for each tree marked for removal shall be planted at the cost of M/s* Jio Digital Fibre Private Limited *in consultation with the local forest department.*

For Jio Digital Fibre Pvt. Ltd.

Authorized Signatory

Countersigned

Divisional Forest officer

...............Forest Division

Office Seal..............................

कार्यालय उप वन संरक्षक, करौली (राज0)

क्रमांक:-एफ( )एफ.सी.ए. /उवसं /2023-24 / [illegible]
निमित,

दिनांक— [illegible] /2023

मुख्य वन संरक्षक
भरतपुर

विषय:- Permission for Laying underground OFC in ROW of existing road from Gudla to Karauli from Lat/long point 26° 33' 34.235" N 77° 1' 25.772" E to 26° 31' 29.409" N 77° 1' 3.304" E total length of 5.62 KM and total area 0.2531 ha. (Length and area in Forest is 03.32 KM & 0.1494 ha & Length & area in Non -Forest is 2.30 KM & 0.1037 ha) along PWD Roads, in karouli district (Rajasthan). FP/RJ/OFC/44022/2020

प्रसंग:-कार्यालय राजस्थान सरकार वन विभाग के पत्रांक प. 1 (46) वन/2023 जयपुर दिनांक 13.07.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उक्त प्रकरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति कार्यालय राजस्थान सरकार वन विभाग के पत्रांक प. 1 (46) वन/2023 जयपुर दिनांक 13.07.2023 से शर्ताधीन जारी की गई, जिसकी अनुपालना रिपोर्ट प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उनके पत्र क्रमांक JDFPL/44022/PF/01 Dated 17 Jul 2023 द्वारा प्रेषित की है, जो इस कार्यालय की अभिशंषा सहित 4 प्रति में निम्नानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है--

क्र.सं.	शर्त	अनुपालना
1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही हुआ है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अन्डरटेकिंग संलग्न कर दी गई है।
2	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अन्डरटेकिंग संलग्न कर दी गई है।
3	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नही पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाये किये जावेगे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अन्डरटेकिंग संलग्न कर दी गई है।
4	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले को वृक्षे वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नही काटा जावे। उक्त क्षेत्र मे रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होगे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अन्डरटेकिंग संलग्न कर दी गई है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरो/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नही लगाया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अन्डरटेकिंग संलग्न कर दी गई है।
6	प्रयोक्ता अभिरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरो/स्टाफ को रसोई गैस/ केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अन्डरटेकिंग संलग्न कर दी गई है।
7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौराने मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नही किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अन्डरटेकिंग संलग्न कर दी गई है।
8	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अन्डरटेकिंग

कार्यालय
सुमन
05-9-23
मूल प्रति प्राप्त की

	नियम, को तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	संलग्न कर दी गई है।
9	प्रयोक्त अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृत की पालना के साथ एफ.आर.ए सटिर्फिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृत पर विचार किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जिला कलक्टर करौली द्वारा जारी एफ.आर. ए सटिर्फिकेट की प्रति संलग्न कर दी गई है।
10	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अन्डरटेकिंग संलग्न कर दी गई है।
11	भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012 एफसी दिनांक 24.07.2023 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को परित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होनें वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृत की प्रतियां स्थनीय निकाय, पंचायत एंव नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति को हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनो समाचार पत्रो में प्रकाशित करवाकर प्रति संलग्न कर दी गई है।
12	भारत सरकार के आदेश कमांक एफसी–11/165/2019–एफसी दिनांक 27.07.2020 में दिये गये दिशा–निर्देशों की अनुपालना करे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अन्डरटेकिंग संलग्न कर दी गई है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

भवदीय

(सुरेश मिश्रा)
उप वन संरक्षक
करौली
दिनांकः– / /2023

क्रमांकः–एफ( )एफ.सी.ए./उवसं/2023–24/

प्रतिलिपि अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. राजस्थान जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है–

उप वन संरक्षक
करौली

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांकः प. 1 (46) वन/2023 जयपुर, दिनांकः–

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)
राजस्थान, जयपुर।

विषयः–Diversion of 0.1494 ha of forest land for Permission for Laying underground OFC in ROW of existing road from Gudla to Karauli from Lat/long point 26° 33' 34.235" N 77° 1' 25.772" E to 26° 31' 29.409" N77° 1' 3.304" E , total length of 5.62 KM and total area 0.2531 ha. (Length and area in Forest is 03.32 . KM & 0.1494 ha & Length & area in Non -Forest is 2.30 KM & 0.1037 ha) along PWD (Proposal No. FP/RJ/OFC/44022/2020) .

संदर्भः–आपका पत्रांक एफ 14 (380/35)2020/एफसीए/प्रमुवस/3460 दिनांक 18.10.2022 ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या FP/RJ/OFC/44022/2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में जियो डिजिटल फाइबर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा–2 में जिला करौली **existing road from Gudla to Karauli** हेतु भूमिगत ऑप्टिकल फाइवर केबल लाईन बिछाने बाबत कुल **0.1494 है0** वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा–2 में सामान्य स्वीकृति बाबत जारी दिशा–निर्देशों के परिपेक्ष्य में Diversion of 0.1494 ha of forest land for Permission for Laying underground OFC in ROW of existing road from Gudla to Karauli from Lat/long point 26° 33' 34.235" N 77° 1' 25.772" E to 26° 31' 29.409" N77° 1' 3.304" E , total length of 5.62 KM and total area 0.2531 ha. (Length and area in Forest is 03.32 . KM & 0.1494 ha & Length & area in Non -Forest is 2.30 KM & 0.1037 ha) along PWD (Proposal No. FP/RJ/OFC/44022/2020) की सैद्वान्तिक स्वीकृति बिना किसी वृक्ष के पातन सहित निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान करती हैः–

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।
4. प्रत्यावर्तित क्षैत्र में रोपित किए जाने वाले को वृक्षो वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षैत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होगे।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।
8. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू समस्त नियम तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।

Validity unknown
Digitally signed by Monali Sen
Designation : Deputy Conservator Of Forest
Date: 2023.07.13 10:10:34 IST
Reason: Approved

V:\DigiGOV\Rajasthan\FileSystemDMSStore\DigiGOV Intranet\PDF\4201012_125085003776636389.docx
RajKaj Ref No. : 4201012

9. **प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्वान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सटिर्फिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।**

10. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।

11. भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें. एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

12. भारत सरकार के आदेश क्रमांक एफसी–11/165/2019–एफसी दिनांक 27.07.2020 में दिये गय दिशा–निर्देशों की अनुपालना करे।

भवदीया,

(मोनाली सेन)
विशेषाधिकारी, वन

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अपर वन महानिदेशक–वन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोर बाग रोड, नई दिल्ली–110003
2. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्यक्षेत्र), पंचम तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024।
3. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस प्रकार के प्रकरणों में जारी की गई स्वीकृतियों की मासिक सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक प्रेषित की जावे।
4. मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर।
5. उप वन संरक्षक, करौली।
6. महाप्रबन्धक, जियो डिजिटल फाइबर प्राइवेट लिमिटेड, 1st फ्लोर आनन्द भवन, एससी रोड जयपुर–302001
7. रक्षित पत्रावली।

विशेषाधिकारी, वन

Validity unknown
Digitally signed by Monali Sen
Designation : Deputy Conservator Of Forest
Date: 2023.07.13 10:10:34 IST
Reason: Approved

JIO DIGITAL FIBRE PRIVATE LIMITED

CIN: U04200GJ2018PTC105652

क्रमांक [illegible] दिनांक – 02-01-2023

श्रीमान उप खण्ड अधिकारी/सचिव महोदय
उप खण्ड करौली

विषय :- करौली से गुडला OFC Route FRA certificate जारी करने Report के लिए खसरा no के बाबत

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके कार्यालय पत्र क्रमांक 735 दिनांक 30-12-2022 के द्वारा OFC Route के खसरा no चाहा गया है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि Proposal no-44022 के अनुसार Route forest Area खसरा नम्बर निम्न है

1 - गुडला चौकी रोड खसरा No- 2242/3, 2241, 1984/1, 1984/2, 1984, 1981, 1980, 1977, 1976, 1975, 1962, 1741, 1742, 1743, 1734, 1732, 1731, 1730, 1724, 1723, 1722, 1721, 1719, 1718, 1691, 1690, 1689, 1688,

(2) कासीरामपुरा Forest मे नही है।

रेडकला आगरी Forest Area नही है।

श्रीमान जी से निवेदन है कि आज तक की कार्यवाही हेतु खसरा नं. प्रेषित है।

प्रतिलिपि –
श्रीमान जिला कलक्टर महोदय करौली
श्रीमान B.D.O [illegible] पंचायत समिति करौली

प्राप्तक: 02/01/2023 कार्यालय पंचायत समिति करौली

Jio Digital Fibre Pvt. Ltd.

JIO DIGITAL FIBRE PRIVATE LIMITED

CIN: U64200GJ2018PTC105062

क्रमांक [illegible] | दिनांक - 02.01.2023

श्रीमान उप खण्ड अधिकारी महोदय
उप खण्ड करौली

विषय:- करौली से गुड़ला OFC Route FRA certificate जमाबन्दी Report के के लिए खसरा no के बाबत

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके कार्यालय पत्र क्रमांक 735 दिनांक 30-12-2022 के द्वारा OFC Route के खसरा no चाहा गया है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि Proposal no-44022 के अंतर्गत Route forest Area खसरा नम्बर निम्न है

1- गुड़ला मौजी रोड खसरा no- 2242/3, 2241, 1984/1, 1984/2, 1984, 1981, 1980, 1977, 1976, 1975, 1962, 1741, 1742, 1743, 1734, 1732, 1731, 1730, 1724, 1723, 1722, 1721, 1719, 1718, 1691, 1690, 1689, 1688,

(2) कासीरामपुरा Forest मे नहीं है।

(3) रोडकला आगरी Forest Area नहीं है।

श्रीमान जी से निवेदन है कि ग्राम सभा की कार्यवाही हेतु खसरा नं. प्रेषित है।

प्रतिलिपि -
1 श्रीमान जिला कलक्टर महोदय करौली
2 श्रीमान B.D.O महोदय पंचायत समिति करौली

Jio Digital Fibre Pvt. Ltd.

[illegible] 30/12

राजस्थान–सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी करौली

क्रमांकः/विविध/2022/902-08

दिनांक :23.12.2022

01. तहसीलदार करौली/मासलपुर
02. विकास अधिकारी करौली/मासलपुर
03. जे0टी0ओ0 जिओ प्राइवेट लिमिटेड करौली
04. सहायक वन संरक्षक करौली
05. श्री रामहरि मीना सदस्य वार्ड नं. 23 पं.समिति, करौली
06. श्री जयसिंह मीना सदस्य वार्ड नं. 07 पं. समिति करौली
07. श्रीमति कल्पना बैरवा सदस्य वार्ड नं. 09 पं. समिति करौली।

मार्फत विकास अधिकारी पं.स. करौली

विषयः–जिओ डिजिटल फाइबर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा करौली से मंडरायल एवं करौली से हिण्डौन को जोडने वाली सडक के किनारे किनारे सडक के आर.ओ.डब्ल्यू. में भूमिगत संबध में फोरेस्ट क्लियरेंस हेतु एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध मे आयोजित बैठक दिनांक 26.12.2022 के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में लेख है कि जिओ डिजिटल फाइबर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा करौली से मंडरायल एवं करौली से हिण्डौन को जोडने वाली सडक के किनारे किनारे सडक के आर.ओ.डब्ल्यू. में भूमिगत ओएफसी डालने हेतु फोरेस्ट क्लीरेंस हेतु एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र जारी किया जाना है। भूमिगत लाईन के संबंध में फोरेस्ट क्लियरेंस हेतु एफ.आर.ए.प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में आयोजित बैठक दिनांक 26.12.2022 के संबंध में 11.00 बजे कार्यालय हाजा में अद्योहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में मीटिंग का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है।

अतः आप उक्त के संबंध में नियत समय पर मीटिंग में संबंधित दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

23.12.22

(दीपांशु सांगवान)
उपखण्ड अधिकारी
करौली

राजस्थान–सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी करौली

क्रमांक / विविध / 2022 / 746 दिनांक : 30.12.2022

01. तहसीलदार करौली
02. विकास अधिकारी करौली
03. वरिष्ट प्रबंधक जिओ प्राइवेट लिमिटेड करौली
04. सहायक वन संरक्षक करौली
05. श्री रामहरि मीना सदस्य वार्ड नं. 23 पं.समिति करौली
06. श्री जयसिंह मीना सदस्य वार्ड नं. 07 पं. समिति करौली
07. श्रीमति कल्पना बैरवा सदस्य वार्ड नं. 09 पं. समिति करौली। | जरिये विकास अधिकारी पं.स करौली

विषयः–जिओ डिजिटल फाइबर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा करौली से मंडरायल एवं करौली से हिण्डौन को जोडने वाली सडक के किनारे किनारे सडक के आर.ओ.डब्ल्यू में भूमिगत संबंध में फोरेस्ट क्लियरेंस हेतु एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में आयोजित बैठक दिनांक 02.01.2023 के संबंध में।

प्रसंग :– श्रीमान जिला कलक्टर महोदय करौली का पत्र क्रमांक : राजस्व / 4390 दिनांक 13–12–2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में लेख है कि जिओ डिजिटल फाइबर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा करौली से मंडरायल एवं करौली से हिण्डौन को जोडने वाली सडक के किनारे कि. सडक के आर.ओ.डब्ल्यू में भूमिगत ओएफसी डालने हेतु फोरेस्ट क्लीरेंस हेतु एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र जारी किया जाना है। भूमिगत लाईन के संबंध में फोरेस्ट क्लियरेंस हेतु एफ.आर.ए.प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में आयोजित बैठक दिनांक 02.01.2023 के संबंध में 12.00 बजे कार्यालय हाजा में अद्योहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में मीटिंग का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है।

अतः आप उक्त के संबंध में नियत समय पर मीटिंग में संबंधित दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

(दीपांशु सांगवान)
उपखण्ड अधिकारी
करौली

क्रमांकः / सम / 747–48 दिनांक : 30.12.2022

प्रतिलिपि –

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, करौली
2. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी करौली।

उपखण्ड अधिकारी
करौली

Scanned with CamScanner

JIO DIGITAL FIBRE PRIVATE LIMITED

क्र.सं. आरजेआईएल / ओएफसी / एफआरए / 01 दिनांक : 22.12.2022

श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय
करौली (राजस्थान)

विषय : Forest Rights Act, 2006 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय,

करौली जिले में करौली से हिण्डौन को जोडने वाली सडक के किनारे किनारे सड़क के ROW में भूमिगत ओ.एफ.सी. डालने का कार्य हमारी कम्पनी द्वारा किया गया है। उक्त सड़क का लगभग 5660 मीटर हिस्सा वन भूमि / खंड में बना हुआ है। इस 5660 मीटर लंबाई में सड़क के ROW में भूमिगत OFC डालने की अनुमति प्राप्त करने के लिए हमने एक प्रस्ताव FP/RJ/OFC/44022/2020 दिनांक 16.10.2020 श्रीमान उप वन संरक्षक, करौली को प्रस्तुत किया है। प्रस्ताव की एक प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

प्रस्ताव में चाही गई स्वीकृति राज्य सरकार में वन सचिव महोदय के स्तर से जारी की जाएगी। परन्तु वन सचिव महोदय द्वारा अंतिम स्वीकृति तभी जारी की जाएगी जबकि प्रस्ताव में आवेदित वन भूमि के संबंध में जिला कलेक्टर महोदय द्वारा FRA Certificate जारी कर दिया जावेगा।

उल्लेखनीय है कि FRA Certificate जारी करने हेतु ग्राम सभा की सहमति लेना भी आवश्यक है। परन्तु भारत सरकार ने अपने आदेश F.No.11-9/98-FC(pt.) दिनांक 5 फरवरी, 2013 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा छूट प्रदान की है जिसके अनुसार OFC जैसे Linear Projects/activities के लिए ग्राम सभा / सभाओं की सहमति लेना आवश्यक नहीं है। FRA Certificate का निर्धारित Form-1 सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

अतः निवेदन है कि संलग्न प्रस्ताव में उल्लेखित वन भूमि के संबंध में FRA Certificate उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सधन्यवाद

भवदीय
वास्ते जियो डिजिटल फाईबर प्राईवेट लिमिटेड
For Jio Digital Fibre Pvt. Ltd.

Authorized Signatory

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता;

नाम	:	श्री सुरेश सिंघल
मोबाईल नं.	:	8239999410
ऑफिशियल ईमेल	:	suresh1.singhal@ril.com
पदनाम	:	Senior Manager

संलग्न : उपरोक्तानुसार

RECEIVED 22/12/22 करौली

JIO DIGITAL FIBRE PRIVATE LIMITED

CIN: U64200GJ2018PTC105652

No. JDFPL/FOREST/KAR/201 Date : 14 May 2022

The District Collector
& Chairman
District Telecom Committee
Karouli

Sub.: Request to provide FRA certificate.

Sir,

We had submitted an online proposal No. FP/RJ/OFC/44022/2020 for seeking permission to lay underground OFC along road falling between Gurla to Karouli on PARIVESH portal of MoEF&CC. A copy of the proposal is enclosed for ready reference.

The proposal is under consideration of Forest Department.

If user agency doesn't provide FRA certificate as provided in Scheduled Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, then the State Government provides in-principle approval only. Final permission is issued after the user agency produces the FRA certificate issued by the District Collector in the prescribed Form-I (for linear projects) as provided under the Scheduled Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 {ST&OTFD(RoFR) Act,2006}.

We, therefore, request you to issue aforesaid FRA certificate in respect of forest land involved in the proposal so that the remote & uncovered villages also get uninterrupted & robust mobile coverage.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **Jio Digital Fibre Private Limited**

Singh

Authorised Signatory

Encl: a/a (pages).

Copy for information submitted to the Chief Secretary and Chairperson of State Telecom Committee and State Broadband Mission, Rajasthan, Jaipur

Singh

RECIVED
जिला कलेक्टर कार्यालय करौली
दिनांक- 22/12/22

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर करौली

क्रमाक / राजस्व / 2022 / दिनांकः / 12 / 2022

उपखण्ड अधिकारी
करौली / हिण्डौन।

विषयः– फोरेस्ट राईट्स एक्ट 2006 के अन्तर्गत करौली से हिण्डौन को जोडने वाली सडक के किनारे–2 सडक के आर.ओ.डब्लू में भूमिगत OFC डालने हेतु फोरेस्ट क्लियरेंस हेतु एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र जारी करने बाबत्।

प्रसंगः– इस कार्यालय का पूर्व पत्रांक 601–02 दिनांक 08.02.2022।

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय के प्रासंगिक पत्र द्वारा Authorized Signatory JIO DIGITAL FIBRE PRIVATE LIMITED के पत्र क्रमांक RJIL/OFC/FRA/01 दिनांक 17.09.2021, जिसके द्वारा फोरेस्ट राईट्स एक्ट 2006 के अन्तर्गत करौली से हिण्डौन को जोडने वाली सडक के किनारे–2 सडक के आर.ओ.डब्लू में भूमिगत OFC डालने के लिए फोरेस्ट क्लियरेंस हेतु एफ. आर.ए. प्रमाण पत्र चाहा गया था, की छायाप्रति प्रेषित कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए वांछित प्रस्ताव चाहे गये थे, परन्तु आप द्वारा वांछित प्रस्ताव / दस्तावेज आदिनांक तक इस कार्यालय को नहीं भिजवाये गये हैं, जिसके कारण प्रकरण में एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र जारी करने की आगामी कार्यवाही नहीं की जा सकी है। **उक्त प्रकरण दिनांक 13.12.2022 को माननीय मुख्य सचिव महोदया की अध्यक्षता में आयोजित वी.सी. में भी रखा गया था, जिसे आगामी 10 दिवसों में निस्तारित करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं।**

अतः प्रकरण में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति की तथा ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति की मीटिंग का आयोजन कराकर यह प्रस्ताव पारित करावें कि वनाधिकार अधिनियम 2006 तथा संशोधित अधिनियम 2012 के तहत कोई वन अधिकार पत्र तो जारी नहीं किया गया है अथवा कोई प्रक्रियाधीन तो नहीं है, का प्रस्ताव पारित करवाकर वन भूमि के खसरा नम्बर व रकबा अंकित कराकर बैठक कार्यवाही विवरण 2–2 प्रतियों में दिनांक 18.12.2022 तक आवश्यक रूप से इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

पत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

—Sd—
(मुरलीधर प्रतिहार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
करौली

क्रमांक / सम / ~~4380~~ 4390 दिनांकः 13 / 12 / 2022

प्रतिलिपिः– Authorized Signatory JIO DIGITAL FIBRE PRIVATE LIMITED 1st Floor, AnandBhawan, Sansar Chandra Road, Jaipur-302001 को उनके पत्रांक RJIL/OFC/FRA/01 दिनांक 17.09.2021 के क्रम में भेजकर लेख है कि आप संबंधित उपखण्ड अधिकारी से संपर्क कर आवश्यक कार्यवाही करावें।

22/12/22

अतिरिक्त जिला कलक्टर
करौली

E-mail : dm-kar-rj@gov.in, adm-kar-rj@gov.in
Phone no - 07464 250100/250205 Fax us at: 07464-250281